संख्या 8-371/87-एफ. सी.
भारत सरकार
पर्यावरण और वन मंत्रालय
पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग

पर्यावरण भवन,
सी. जी. ओ. कम्प्लेक्स,
लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनांक 17 अक्तूबर, 1988

सेवा में,

सचिव,
वन विभाग
मध्य प्रदेश सरकार
भोपाल।

विषय: इन्द्रगढ़ सिंचाई टैंक के निर्माण के लिए मंदसौर जिले में 90 हेक्टेयर सुरक्षित वन भूमि का उपयोग।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया अपने दिनांक 2.12.1987 के पत्र संख्या एफ 5/56/87/10/3 का अवलोकन करें, जिसमें आपने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अनुसार केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी मांगी थी तथा इस बारे में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्ताव की जांच उक्त अधिनियम की धारा-3 के तहत गठित सलाहकार समिति द्वारा कर ली गई है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात तथा उपर्युक्त सलाहकार समिति के सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार निम्नलिखित शर्तों के तहत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अनुसार इन्द्रगढ़ सिंचाई टैंक के निर्माण के लिए मंदसौर जिले में 90 हेक्टेयर सुरक्षित वनभूमि के उपयोग करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान करती है।

1. भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. क्षतिपूरक वनरोपण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र को जिसे सुरक्षित/रिजर्व वन घोषित किया गया है वन विभाग के नियंत्रण में रखा जाएगा तथा वन भूमि को किसी भी उपयोग में लेने से पूर्व आवश्यक निधियों पर वन विभाग का अधिकार होगा।

.... 2/-

3. वृक्षों को एफ.टी.एल./एफ.आर.एल. के मध्य तथा एफ.टी.एल/एफ.आर.एल. से 2/4 मी. तक गिराने की अनुमति नहीं होगी।

4. नहर के दोनों तरफ वृक्ष लगाए जायेंगे।

5. पौधों तथा सिंचाई वानिकी पौधरोपण को बढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा निःशुल्क जल आपूर्ति की जाएगी।

6. वन क्षेत्र में परियोजना पर कार्य करते समय कार्यरत मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की जरूरतों के लिए वन को क्षति न पहुँचाए, प्रयोक्ता एजेन्सी ईंधन डिपो स्थापित करेगी और उन्हें निःशुल्क ईंधन की लकड़ी मुहैय्या करवायेगी या उनके वेतन या मजदूरी से पैसे काट लिये जायेंगे।

भवदीय,

(एस.पी. सिंह)
सहायक वन संरक्षक

प्रतिलिपिः
1. मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
2. श्री के.पी. नागराजु, वन संरक्षक (मध्य)क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, प्लाट संख्या ई.3/240 एरिया कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश।
3. गार्ड फाइल।

(एस.पी. सिंह)
सहायक वन संरक्षक